राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 474/2016

रामेश्वर प्रसाद मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) राजस्थान, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर।
4. नवल किशोर मीणा जरिये जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.04.2016
आदेश की दिनांक : 19.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुप अग्रवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी एक वरिष्ठ व्यक्ति है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ा देहरा, जमवारामगढ़, जयपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को प्रारम्भ में दिनांक 11.01.1989 को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिंहपुरा, छारेड़ा, दौसा में पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 27.9.2003 के आदेश द्वारा अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भट्टा का बास में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया तथा वर्तमान में अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ा देहरा, जमवारामगढ़, जयपुर में पदस्थापित है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने दिनांक 27.9.2003 को एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 183 रखी गई जबकि प्रत्यर्थी संख्या 4 नवल किशोर मीना, रामकिशन मीना एवं नरसी लाल मीना की वरिष्ठता क्रम संख्या क्रमशः 311, 320 और 383 पर है। इससे स्पष्ट है कि ये व्यक्ति अपीलार्थी से बहुत कनिष्ठ हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास एम.ए. हिंदी की डिग्री भी है, इसलिए अपीलार्थी ने अपनी उच्च योग्यता रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया

और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 10.6.2015 के आदेश के तहत उसकी स्नातकोत्तर योग्यता भी जोड़ दी और अपीलार्थी की संभागवार वरिष्ठता क्रम संख्या 490(1) पर रखी गई। आदेश दिनांक 24.7.2015 के तहत उसकी राज्यवार वरिष्ठता क्रम संख्या 1204 पर रखी गई है। (अनुलग्नक–2व3) दिनांक 14.12.2015 को अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 13.9.2015 के आदेश के तहत कई कनिष्ठ व्यक्तियों जैसे नवल किशोर मीना, लाल चंद बलाई, हरिनारायण मीना जिनकी राज्यवार वरिष्ठता संख्या 1211, 1261 और 1738 है, को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया है तथा अपीलार्थी जिसकी वरिष्ठता संख्या 1204 है, जो कि इन व्यक्तियों से काफी वरिष्ठ है, को उक्त सूची में स्थान नहीं मिला है तथा अपीलार्थी को उच्चतर वरिष्ठता होने के बावजूद व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी ने लगातार अधिकारियों से संपर्क किया और अनुरोध किया कि उसे व्याख्याता के पद पर उसी दिन से पदोन्नत किया जाए, जिस दिन से उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को पदोन्नति और अन्य लाभों की मांग करते हुए दिनांक 15.12.2015 को एक कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन इसकी प्राप्ति के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसके कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति की तिथि से व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जाए एवं समस्त पारिणामिक लाभ ब्याज सहित दिलाए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील के संबंध में माननीय अधिकरण के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट करना होगा कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक तृतीय वेतन श्रंखला के पद हुई थी तथा अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति उपरांत अध्यापक तृतीय वेतन श्रंखला के पद पर दिनांक 17.01.1989 को कार्यग्रहण किया गया था। अपीलार्थी की नियुक्ति के समय अपीलार्थी की योग्यता बी०ए–1986 तथा बी०एड– 1987 थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से कनिष्ठ के समान व्याख्याता/प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति का अनुतोष चाहा गया है, इस संबंध में माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि व्याख्याता/प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तरीय पद है तथा द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है। अध्यापक द्वितीय वेतन श्रंखला की समय–समय पर अस्थाई वरिष्ठता सूची उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर जारी की जाकर समय–समय पर आपत्तिया आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है तथा जारी की गई स्थाई वरिष्ठता सूची से ही डीपीसी हेतु पात्रता सूची तैयार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ कार्मिक श्री नवल किशोर मीणा को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (हिन्दी) विषय के पद पर वर्ष 2015–16 में प्रदत्त की गई पदोन्नती को माननीय अधिकरण के समक्ष विवादित किया गया है, इस संबंध में माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि श्री नवल किशोर मीणा की हिन्दी स्नात्कोत्तर की योग्यता वरिष्ठ अध्यापकों की संबंधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वर्ष 2015–2016 की डीपीसी की बैठक आयोजित किये जाने के समय अंकितध्इन्द्राज थी तथा अपीलार्थी की उक्त योग्यता आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा दर्ज की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से जिस योग्यता के आधार पर कनिष्ठ के समान पदोन्नति का अनुतोष चाहा गया है, उक्त वर्णित योग्यता अपीलार्थी द्वारा सेवा अवधि के दौरान एम. ए. हिन्दी वर्ष 1992 तथा एम.ए. राजनिति विज्ञान वर्ष 1995 में अर्जित की गई है। प्रत्यर्थीगण द्वारा विभागीय कार्यप्रणाली के तहत वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि या दर्ज सूचनाओं में संशोधन हेतु एक आवेदन प्रपत्र भी तैयार किया हुआ है, जो कि केवल मात्र इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति उपरांत वरिष्ठता सूचियों में आवश्यक इन्द्राज, संशोधन, विलोपन एवं अर्जित की गई योग्यताओं का इन्द्राज करवाया जा सके, वर्णित आवेदन पत्र में अन्य समस्त सुसंगत सूचना का अंकन भी किया जा सकता है जो कि किसी कार्मिक की वरिष्ठता सूची में इन्द्राज किये जाने हेतु आवश्यक है। वर्णित आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाईट (Official Website) पर भी उपलब्ध है। (अनुलग्नक–आर–1) अपीलार्थी द्वारा सेवाकाल में अर्जित की गई योग्यताओं को वरिष्ठता सूची में दर्ज करवाये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी की मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में आवश्यक प्रविष्ठी आदेश दिनांक 10.06.2015 के द्वारा दर्ज की गई है एवं तत्पश्चात राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा दर्ज की गई है।(अनुलग्नक–आर–2व3) दिनांक 24.07.2015 को जोडी/अभिवृद्वित की गई योग्यताओं के आधार पर अपीलार्थी वर्ष 2016–2017 में की जाने वाली आगामी पदोन्नती हेतु पात्रता अर्जित करता है, उसी के अनुरूप अपीलार्थी को हिन्दी तथा राजनीति विज्ञान विषय में अर्जित योग्यात के आधार पर वर्ष 2016–2017 में व्याख्याता (राजनिति विज्ञान) एवं व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदोन्नती प्रदान की गई एवं अपीलार्थी द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर दिनांक 25.07.2016 को कार्यग्रहण किया गया। माननीय अधिकरण के समक्ष समान आधारों/तथ्यों पर प्रस्तुत अपील संख्या 361/2014 कल्याण सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा निम्न अभिमत प्रकट करते हुए खारिज/अस्वीकार किया गया है :–

''उपलब्ध दस्तावेज एंव उभयपक्ष के अभिकथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी एम. एस. सी. की योग्यता को अंकित करवाने हेतु कोई आवेदन प्रत्यर्थी विभाग में अलोच्य पदोन्नति आदेश से पूर्व नहीं किया जाना पाया जाता है। जिस कारण से उसकी योग्यता वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं हो पाई। साथ ही अन्तर्मण्डल स्थानांतरण के कारण भी अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित हुई है। अपीलार्थी ने प्रथम बार दिनांक 28.05.2013 को अपनी एम. एस.सी. गणित की योग्यता के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को सूचित किया गया एवं विभाग ने दिनांक 23.09.2013 के द्वारा अपीलार्थी की योग्यता एस. एस. सी.–2003 गणित जोडी गई। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील में कोई सार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज योग्य है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है।''

अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता में योग्यता दर्ज करवाये जाने हेतु कब एवं किस माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया इसका कोई भी प्रलेख/दस्तावेज प्रस्तुत अपील में संलग्न/प्रदर्श नहीं किया गया है। माननीय अधिकरण के समक्ष समान तथ्यों पर प्रस्तुत अपील संख्या 359/2014 दिनेश चन्द मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा निम्न अभिमत प्रकट करते हुए खारिज किया गया है :–

''उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी एम. ए. अंग्रेजी की शैक्षणिक योग्यता को रिकार्ड एवं सूची में समय पर अंकित नहीं कराने से उसे आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंगेजी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया एवं उसके द्वारा आवेदन करने पर उसके सेवाभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता का अंकन किया जाकर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।''

अपीलार्थी द्वारा सेवाकाल के दौरान अर्जित योग्यता का अंकन वरिष्ठता सूची में समय पर अंकित नहीं करवाये जाने के कारण प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा सेवाकाल में अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अपीलार्थी की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में योग्यता का अंकन दिनांक 24.07.2015 को किया गया एवं तत्पश्चात योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को आगामी वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के प्रति व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 25.07.2016 को कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा एम०ए० (हिन्दी) की योग्यता सेवाकाल के दौरान अर्जित की गई है, उक्त योग्यता के अंकन हेतु आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अपीलार्थी की योग्यता का अंकन आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा किया गया है तथा अपीलार्थी को आगामी डीपीसी की बैठक में अर्जित की गई योग्यता के आधार पर वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के

प्रति व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2016 को कार्यग्रहण भी किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 361/2014 कल्याण सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अभिमत दिनांक 19.02.2024 एवं अपील संख्या 359/2014 दिनेश चन्द मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित अभिमत दिनांक 19.02.2024 के अलोक में प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किये जाने की तिथी से पदोन्नति प्रदान करने एवं पारिणामिक लाभ मय ब्याज दिलाए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.09.2003 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 71 पर अंकित है और वरिष्ठता वर्ष 1988–1991 में क्रम संख्या 183 पर है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 नवल किशोर मीणा का नाम क्रम संख्या 76 पर और वरिष्ठता वर्ष 1988–1991 में 311 है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2015 (अनुलग्नक–4) वर्ष 2015–2016 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद विषय हिंदी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए, जिसमें नवल किशोर मीणा को पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी के वरिष्ठ होने के बावजूद उसकी पदोन्नति नहीं की गई। अपीलार्थी ने लीगल नोटिस भी प्रत्यर्थी विभाग को दिया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई, जबकि अपीलार्थी द्वारा 1992 में एम.ए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की ली थी और पदोन्नति प्राप्त करने का पात्र था। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.06.2015 (अनुलग्नक–3) और दिनांक 24.07.2015 (अनुलग्नक–4) पत्रावली में प्रस्तुत किए गए है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा एम.ए हिंदी वर्ष 1992 और एम.ए राजनीति विज्ञान वर्ष 1995 में अर्जित किए जाने के संबंध में सेवा अपील में अंकन करने के लिए आवेदन किए जाने पर अपीलार्थी की बढ़ी शैक्षणिक योग्यता को आदेश दिनांक 24.07.2015 द्वारा सेवाभिलेख में दर्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा तृतीय वेतन श्रृखंला अध्यापक के पद पर 17 जनवरी 1989 को कार्यग्रहण करते समय उसकी योग्यता बी.ए 1986 और बी.एड 1987 थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक नवल किशोर मीणा की पदोन्नति व्याख्याता हिंदी के विषय के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में हिंदी स्नातकोत्तर की योग्यता अंकित थी, जबकि अपीलार्थी ने स्नातकोत्तर योग्यता अंकित करने हेतु आवेदन बाद में प्रस्तुत किया है। इस कारण अपीलार्थी का वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। विभाग द्वारा वरिष्ठता सूचियों में नामाकंन,

अवलोकन एवं योग्यता अभिवृद्धि एवं दर्ज सूचनाओं में संशोधन हेतु एक निर्धारित परिपत्र तैयार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन करने पर मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 10.06.2015 व राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 24.07.2015 द्वारा उसकी अंकित योग्यताओं पर इंद्राज किया गया है और इस आधार पर अपीलार्थी को 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), व्याख्याता (हिंदी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने व्याख्याता स्कूली शिक्षा राजनीति विज्ञान के पद पर दिनांक 25.07.2016 को कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि उसने समय पर ही आवेदन कर दिया था एवं विभाग के स्तर पर शैक्षणिक योग्यता अकंन में कोई विलम्ब हुआ हो। माननीय अधिकरण द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में दायर अपीलों को निरस्त किया गया है। (समान अपील 361/2014 और 359/2014) को खारिज किया है।

हम यह मानते है कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गयी शैक्षणिक योग्यताओं का समय पर उसके सेवा अभिलेख में जुड़वाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की है और अपीलार्थी के आवेदन के पश्चात उसकी योग्यता का उसके सेवा अभिलेख में अंकिन करने के पश्चात उसे आगामी वर्ष 2016–17 की वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्रदान किया जाना पाया जाता है। स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2015 के सदंर्भ में जारी वरिष्ठता सूची अपीलार्थी की शैक्षिणक योग्यता में एम.ए की डिग्री अंकित नहीं थी। एवं इस हेतु कोई आवेदन भी प्रत्यर्थी विभाग के पास लम्बित नहीं था। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार होने और अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता एम.ए सेवाभिलेख में दर्ज करने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आगामी वर्ष 2016–17 में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील सारहीन और बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य